श्री शिव लाल मीणा, मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 08.08.2024 सायं 04.00 PM बजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम– सेलू, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना पत्र राष्ट्रीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 09.07.2024 एवं स्थानीय समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 09.07.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई "**श्री शिव लाल मीणा**" द्वारा प्रस्तावित **मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट** खनन परियोजना (**एम.एल.न. 16/2019** (लीज क्षेत्र 1.9611 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 16.5823 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 2185601 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट उत्पादन क्षमता 240166 TPA निकट ग्राम–सेलू, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 80 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 09.03.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव
जिला–उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उधोग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक "ब"के अनुसार है।

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "स" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यह जो आपके 178 आपके जो आपने बताए है एम्पलोएमेन्ट मिलेगा उसमें गाँव से कितने लोग लोगे आप।

पर्यावरणीय सलाहकार –

जो भी जो हमारे स्कील्ड लेबर है उनको छोड़ के जो भी मेनेजर हो गए उनके उनके अलावा जो भी परसन्स् है वो गाँव से लिए जाएंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

कोशीश यह करो कि स्कील्ड वरकर अगर गाँव में मिल लाए?

पर्यावरणीय सलाहकार –

जी सर उनके लिए भी हम सब कौशल और इसके कार्यक्रम यहां विकसित करेंगे जिससे अधिक से अधिक जो है वो गाँव के लोगों को माईन्सो पर काम दिया जाएगा।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप में से जो भी कुछ बात कहना चाहै वो मंच पर आ सकते है।

उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव
जिला–उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्री देवेन्द्र सिंह झाला, ग्रामवासी –

सर जैसा कि आपने बताया जो नियम आपने बताए अभी तक खाली इन क्रेशर वालो ने ऑनली खाली टेंकर की सुविधा दे रखी है जो मिट्टी उड़ती है उसके अलावा एक भी आपने जो नियम में जो बता रहे है वो एक भी रूल्स अभी तक एक भी क्रेशर वाले ने फोलो नहीं किया एक भी नियम जो भी आपने जो रूल्स बताए उसमें एक खाली ऑनली टेंकर भी हमने बीच में क्रेशर वालो से बातचीत करके वो जबरदस्ती चालु करवाया पानी का छीड़काव करने के लिए उसके अलावा इन्होने एक भी नियम जो अभी आप बोल रहे है उसमें एक भी फोलो नहीं कर रखा है भले ही आप जा के क्रेशर चेक कर सकते है और दूसरी बात मैंने दो बार पहले आप मेडम से पहले एस.डी.एम. साहब थे उनको भी मैंने एप्लीकेशन दे रखी है एक तो इन्होने क्रेशर वालो ने क्या किया जितनी लिज गवर्नमेंटने दी रखी है उसके अलावा भी इन्होने लोगों की बिलानाम जमीने उनपे भी कब्जा कर रखा वो भी इनके पास है उनमें भी यह नियम के विरूयद्ध जा के खनन कर रहे है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आपने कोई पहले से दे रखा है, कोई ज्ञापन वगेहरा देना चाहो तो दे सकते हो।

श्री देवेन्द्र सिंह झाला, ग्रामवासी –

हॉ वो हम दे रहे है, यहां पर मेडम चार–पॉच माईन्से है, डामर प्लांट भी है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है और कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है आप इसका ज्ञापन दे दे आप जो भी देना चाहे यहां पे आप रिस्प्टि ले ले वहां से, और बोलना चाहेंगे कोई कुछ, आप मंच पे आ जाए जिसको भी बोलना है।

पर्यावरणीय सलाहकार –

जी आपके सवाल के पक्ष में, मैं कुछ बोंलना चाहूँ, यह जो खनन पट्टा है यह अभी प्रस्तावित खनन पट्टा है इसमें अपन ने एक लागत को इसमें प्रपोस किया वो खर्चे आप आगे आपके लिए प्रतिवर्ष किए जाऐंगे और यहां पर एक एसोसिएशन इसमे लिए कार्यरत हे तो आपसे अनुरोध आप लेअर एसोसिएशन में भी दे ओर जो कार्यवाही ऐसासिएशन की तरफ से की जाएगी उसमें जो भी शिवलाल मीणा की तरफ से।

श्री देवेन्द्र सिंह झाला, ग्रामवासी –

सर हमने तीन–तीन बार एस.डी.एम. साहब को भी दिया हुआ है तहसीलदार साहब को भी दिया हुआ है एसोसिएशन वालो को भी दिया हुआ है पर अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई।

उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव
जिला–उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है आप एक काम करीए ना आप यह जब प्रिन्ट देना चाहे ना जो आपने दे रखा है उसकी कॉपी आप मेरे को दे दे, ठीक है ना आपको जो भी इस सम्बन्ध में जो भी चिजे बता रहे होना उसके अन्दर को जो भी पहले कर रखी है आपने आप सबमिट कर दे, आपमें से कोई और बोलना चाहे आ सकते है, आ जाओ। आप यहां आके बोलिए आप आराम से यह आपके लिए ही हो रही है जनसुनवाई जो कोई तकलीफ है वो बोल सकते है आके। नाम बोल दीजिए रिकॉर्डिंग हो रही हे आपकी आपका नाम एक बार नाम बोल दीजिए।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

गाँव कौन सा है आपका?

श्री देवीलाल, ग्रामवासी –

सेलु, एक है जो हमारे टॉवर की समस्या बहुत है, टॉवर नहीं आता है, बात ही नहीं होती है बिल्कुल, बात ही नहीं होती है टॉवर नहीं आता है यहां पे यह भी एक समस्या ही है बड़ी भयंकर और दो किलोमीटर दूरी से लोग सभी गेहूँ लेकर आते है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

इसके बारे में तो आप अलग से देना क्योंकि यह पर्यावरण के उसमें हो रही है ना यह तो उसके वास्ते नहीं हो रही है यह तो आप अलग से जो भी सम्बन्धित विभाग है ना उनको दे दे यह तो पर्यावरण जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते है, टॉवर नहीं हे वो तो हमको मोबाईल हमारा भी नहीं चल रहा है अभी तो। ठीक है और जो बोलना चाहे आ जाए। आप जो कोई लिखित में देना चाहे 3–4 जने हमारे ऑफिस में आके दे सकते है।

श्री देवीलाल, ग्रामवासी –

साहब एक पंचायत से पट्टे भी नहीं है हमारे गाँव में बिल्कुल ही सेलु में पंचायत के पट्टे, आबादी पट्टे भी नहीं है।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

यह तो पर्यावरण के हिसाब से हो रही है ना यह तो, आप बाद में बात कर सकते है। पर्यावरण के लिए जो भी कुछ कहना चाहे वो आ सकते है। वो तो बात हो गई दो बाद उन्होने बता दिया आप जो भी देना चाहे वो दे सकते है।

उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव
जिला–उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमति सीमा तिवाड़ी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम), बड़गांव, उदयपुर :–

हॉ यह जो अनस्कील्ड लोग हे यह तो 100 प्रतिशत गॉव वाले ही होने चाहिए मजदुर लोग स्कील्ड नहीं है तो आप लोग आईम–टाईम पे वर्कशॉप वगेहरा लगा के इनकी स्कील्ड ट्रेनिंग करा के उन लोगों के आपको मिनिमम 61 तो आपने ऐसे ही बताराए वैसे जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा तो भी तमो आपका काम चलेगा। करीब 61 लोग तो आपने अनस्कील्ड बताराए यह तो गॉव वाले है आपके लिए भी इदनकी एप्रोच ईजी रहेगी, अब जो स्कील्ड वाले है जो 84 लोग है इसमें क्या स्कील चाहिए?

पर्यावरणीय सलाहकार –

जो ड्राईवर्स लोग है उनके लिए स्कील्ड है जो मशीन ऑपरेटर वो स्कील्ड लेबर चाहिएगी जो क्रेशन पे काम कर रहे है वो स्कील्ड लेबर है तो इसके लिए भी टाईम–टाईम पर वोकेशन्ल ट्रेनिंग प्रोवाईड की जाएगी और अधिक से अधिक जो हे वो गाँव आस–पास के गॉव से ही जो है वो रोजगार प्रदान करेंगे।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

आप प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट हे आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्रीमति सीमा तिवाड़ी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम), बड़गांव, उदयपुर :–

आपका यही कहना है ना कि आप लोगों को यह रोजगार नहीं देते।

श्री देवेन्द्र सिंह झाला, ग्रामवासी –

मेडम जैसे अभी यह भी कहा एक ब्लास्टिंग जो यह निरयम के तहत ब्लास्टिंग भी बहुत होती है पूरे मकान, स्कूल की आप पूरी यह वाला सेक्शन भी आप देख सकते हो ब्लास्टींग भी ऐसी करते जो तीन–तीन किलोमीटर तक पूरे रेंज में कम्पन होता है और मकानो में दरारे आ गई और यह जैसे इनको क्रेशर वालो के लिए क्रेशर प्लांट में पानी का फव्वारा सेट करने के लिए इनके नियम में है और यह मिट्टी चारों तरफ उड़ती है सब फसले सब बिल्कुल नष्ट होता है वापस यह मलबा भी मेडम ऐसी जगह ले जाके डालते है जहां पे इनको नहीं डालना चाहिए यह जो अवेलेबल है उस जगह पे डालना चाहिए लेकिन यह दूसरो की जगह पर ले जाकर डालते हे वो सारा मलबा वो सारा वेस्टेज सब दूसरों के खेतो में जाता है पानी में बह के अभी भी वहां पे यही स्थिति है आप जाकर देखिए।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है आप जो पहले आपने दे रखा है वो सब हम दे देंगे, आप बोलना चाहे कुछ? और कोई कुछ बोलना चाहे तो आ सकते है, मैं एस.डी.एम. मेडम से निवेदन करूंगा दो शब्द कहे।

उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव
जिला–उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्रीमति सीमा तिवाड़ी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट (एसडीएम), बड़गांव, उदयपुर :–

आप सभी को मेरा नमस्कार अभी आप लोगो ने जितनी भी प्रोबलम्स बताई है वो रिकॉर्ड भी हो गई है और भी कुछ आप लिखित में देना चाहे तो अगले दो दिनों में तीन दिनों में आप वो सब सबमिट करना है क्योंकि उसके बाद हम आगे रिपोर्ट भेजेंगे अगर अभी आप कुछ दे देंगे या दो–तीन दिन में देंगे तो वो सारे पेपर हम इस रिपोर्ट के साथ लगा के आगे भेजेंगे पर इसका निर्णय राज्य स्तर से होगा रिपोर्ट बनाना हमारा काम है तो अगर आप हमे जो भी दस्तावेज देंगे वो हम साथ में लगा के ऊपर भेजेंगे थेक यू।

इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़गांव, उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

श्री शरद सक्सेना जी, क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, उदयपुर :–

ठीक है धन्यवाद आपका आप सब पधारे जय हिंद।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बड़गांव
जिला–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी बड़गाँव
जिला–उदयपुर (राज.)

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

श्री शिव लाल मीणा, मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट (एम.एल.न. 16/2019, क्षैत्रफल– 1.9611 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 2185601 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट उत्पादन क्षमता 240166 TPA निकट ग्राम– सेलू, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 08.08.2024 को सायंः 04.00 PM बजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–सेलू, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	सीमा तिवाड़ी	SDM Badgaon	[signature]
2	शरद सक्सेना	RO RSPCB Udaipur	[signature]
3	यशवंत जोलिया	JEE, RSPCB Udaipur	[signature]
4.	सफल पाटीदार	JEE, RSPCB udaipur	[signature]
5.	शिवलाल मीणा	खनन पट्टाधारी	शिवलाल
6	श्याम लाला सुरवाल	पर्यावरण कन्सलटेन्ट (एन्वायरोमेन्ट)	[signature]
7	शम्भुलाल	इसवाल (सेलू)	[signature]
8.	नन्दलाल डांगी	सेलू	नन्दलाल
9.	देवीलाल डांगी	सेलू	देवीलाल
10	पप्पुलाल	सेलू	पप्पुलाल
11	मांगीलाल	ढीकली	मांगीलाल
12	मोहनलाल	सेलू	मोहनलाल
13	देवीलाल	सेलू	देवीलाल
14	तेजपाल	सेलू	तेजपाल
15	भीमलाल	सेलू	भीमलाल
16	देवीलाल	सेलू	देवीलाल
17	राहुल डांगी	सेलू	[signature]
18	गणेश	सेलू	[signature]
19.	हिरालाल	सेलू	हिरालाल
20	दुर्गा लाल	ढीपाला	दुर्गालाल
21	जितेन्द्र	सेलू	जितेन्द्र

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
रूपलाल	सेलु	रूपलाल
लालूराम गमेती	सेलु	लालूराम
मोहन लाल गमेती	सेलु	मोहन लाल
25. नाथुलालजी	सेलु	नाथुलाल
26 रामलाल	सेलु	रतनलाल
27. रतनलाल	सेलु	रतनलाल
28. भागचंद लाल	सेलु	भागीलाल
29. रमेश	सेलु	रमेश
30 दुर्गालाल	सेलु	दुर्गालाल
31 शिवलाल	डाकन कोटड़ा	शिवलाल
32 पिन्टू	सेलु	पिन्टू
33. भगवतीलाल डांगी	सेलु	भगवतीलाल
34. दिनेश डांगी	सेलु	दिनेश
35. रामसिंह देवड़ा	सेलु	रामसिंह
36 गंगाराम डांगी	सेलु	गंगाराम
37. खेमराज डांगी	सेलु	खेमराज
38 कन्हैयालाल डांगी	सेलु	कन्हैयालाल

Scanned with OKEN Scanner

...र-14 तक रात 1 बजे तक नहीं हुई बारिश

...न की
शहर में
...। मौसम
संभाग में
...ा था उस
...ा रहे थे।
लोगों को
...रिश होने
...रती देख
... गई थी।
...नसिटी से
सेवाश्रम
...पास के
...कि उससे
...ह हो गई
...की सूचना
वालों को
सूखे की
नहीं रहा।
...ा था तो
...क देर रात
... लोगों व
...ग ने आने
...तावनी दी
... इस बार

अच्छी मानसूनी बारिश की कमी पूरी हो जाएगी। इससे पहले दिनभर तेज उसम और उस पर बिजली की बेहिसाब आंख मिचौनी ने लोगों को पसीना-पसीना कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से आगामी दो-तीन दिन जोधपुर उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होने की प्रबल संभावना है।

आज शेखावाटी क्षेत्र व उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 9-10 जुलाई को भी मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में जारी रहने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। 11 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा केवल छुटपुट स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।

...लीटर महुवा जब्त

नगर संवाददाता . उदयपुर। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ रविवार को दो कार्रवाई की। जोगी तालाब और ट्रांसपोर्ट नगर में नाकाबंदी के दौरान 10 लीटर महुवा शराब जब्त की। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो बाइक जब्त की। थानाधिकारी भवानी सिंह राजावत ने बताया कि 7 जुलाई को अवैध रुप से शराब तस्करी करने की सूचना मिली। टीम ने जोगीतालाब और ट्रांसपोर्ट नगर में नाकाबंदी की। जोगी तालाब के यहां बाइक सवार युवक को रोका। तलाशी में उसके पास एक केन में 5 लीटर देशी महुवा शराब मिली। इस पर पुलिस ने बोरीकुआं फलां लांबेरी, टीडी निवासी राजू पुत्र रमेश मीणा को गिरफ्तार किया। इसी तरफ ट्रांसपोर्ट नगर में नाकाबंदी के दौरान 5 लीटर महुवा शराब ले जाते टीडी निवासी प्रताप पुत्र भंवरलाल मीणा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से देशी शराब और दो बाइकें जब्त की है। पुलिस आरोपियों से शराब की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है।

किशोरी का अपहरण

नगर संवाददाता . उदयपुर। अंबामाता थाना क्षेत्र में एक युवक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर ले गया। पुलिस के अनुसार चंपा कॉलोनी, मल्लातलाई निवासी भंवरलाल पुत्र मोतीलाल तेली ने रिपोर्ट दी कि उनकी 16 साल की बेटी गत 3 जुलाई को घर से बिना बताए निकल गई। तलाश करने के दौरान उन्हें पता चला कि बेटी विनोद पुत्र कैलाश अहारी के साथ चली गई है। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी।

...म्मान

...विभिन्न खेल,
संगठनों के
शिक्षक एवं
...फ़ इण्डिया के
...न सरकार के
... दिया कुमारी
...जनजाति मंत्री
...ावर, उदयपुर
...जाति आयुक्त
...रविन्द कुमार
...कारी अजित
... का प्रोत्साहन

भूमि

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय: - श्री शिव लाल मीणा, एम.एल.न. 16/2019 (क्षेत्रफल 1.9611 हैक्टेयर) "मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट", ग्राम-सेलू, तहसील-बड़गांव, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शिव लाल मीणा, एम.एल.न. 16/2019 (क्षेत्रफल 1.9611 हैक्टेयर) "मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट", ग्राम-सेलू, तहसील-बड़गांव, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट माईन (एम.एल.न. 16/2019, क्षेत्रफल 1.9611 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 240166 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तया बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नाकिंत कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-बड़गांव, जिला-उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.08.2024 (गुरुवार) को सायं: 04:00 बजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम-सेलू, तहसील-बड़गांव, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

आरएमजीबी RMGB

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
(भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)
क्षेत्रीय कार्यालय: किसान भवन, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर (राज.) 313001
ई मेल: rm_udaipur@rmgb.in

मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणी/जमानतदार को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अतः उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुनः लौटकर आ गए हैं। अतः उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:-

ऋणी एवं जमानती के नाम एवं पते	प्रतिभूत आस्तियों/ बंधक सम्पत्ति का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
ऋणी: 1. मेसर्स राज कम्पनी प्रो. श्री राज शर्मा पुत्र श्री मथुरालाल शर्मा पता: ग्राम मदार, तहसील बड़गांव, उदयपुर (राज.) 2. श्री राज शर्मा पुत्र श्री मथुरालाल शर्मा पता: ग्राम मदार, तहसील बड़गांव, उदयपुर (राज.) जमानती: 1. श्री चेनराम डांगी पुत्र श्री जेतराम डांगी पता: डांगियों की हुंदर, पंचायत समिति बड़गांव जिला उदयपुर (राज.) 2. श्री बाबूलाल डांगी पुत्र श्री चेनराम डांगी पता: ग्राम व पोस्ट मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)	साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति जिसके सभी अभिन्न अंग गठित होते है, जो आराजी नं. 801 मी., राजस्व ग्राम बरोड़िया, ग्राम पंचायत कविता, पंचायत समिति बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.) में 1328 वर्गमीटर (लगभग 14290 वर्गफीट) का होकर ऋणी श्री राज शर्मा पुत्र श्री मथुरालाल शर्मा एवं जमानती श्री बाबूलाल डांगी पुत्र श्री चेनराम डांगी के शामीलाती नाम से होकर निम्न पड़ौस के मध्य स्थित है: सीमाएं-पूर्व: रोड पश्चिम: ड्रीम स्प्रेक्ट्रम होलीडे होम उत्तर: ड्रीम स्प्रेक्ट्रम होलीडे होम दक्षिण: अमृतलाल की भूमि	28.06.2024 गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक 25/06/2024	दिनांक 28/06/2024 को राशि रू. 4,26,492/- (रूपये चार लाख छब्बीस हजार चार सौ बरानवें मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे।

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणी/जमानतदार के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त ऋणकर्ताओं/जमानतदारों को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है। अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणी/जमानतदार को यह भी सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता / प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13 (2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें। कर्जदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक :-08.07.2024 स्थान : उदयपुर (राज.)

प्राधिकृत अधिकारी (राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक)

Scanned with OKEN Scanner

ने यूथ राजस्थान के संदर्भ में ...
ह मेवाड़ ने अमन को दिया।

5	9	2	6	8	7	3	1	4

न हो।

़ कटारिया ने पुरस्कार बांटे

डर 11 बॉयज
़नी चैंपियन

ल में पदक जीतने वाले खिलाड़ी अतिथियों के साथ।

ड़ी बने चैंपियनः अंडर 13 सिंगल्स में अर्वसिंह व ायज डबल्स में सारांश व आरुष विजेता बने। अंडर खुशहाली शर्मा, अंडर 17 बॉयज डबल्स में निधीश व ल्स अंडर 17 व 19 में साक्षी व योशा विजेता बनी। इसी ल्स में अर्क जैन व लक्ष्य चावत की जोड़ी विजेता बनी।

में पहला पदक जीतने के बाद
लौटी महिला खिलाड़ी, स्वागत

शियाई सीनियर लेक्रोज में अपनी प्रतिभा दिखाकर पहला जीतने वाली उदयपुर की सातों बेटियां सोमवार को उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने मुख्य प्रशिक्षक के साथ कप्तान सुनीता मीणा सहित 7 बेटियों का स्वागत न शहरभर में किया गया। बता दे कि भारतीय टीम में कप्तान ा, जुला कुमारी गुर्जर, डाली गमेती, विशाखा मेघवाल, मीरा नता डांगी व दीपिका बामनिया ने भाग लिया और अपनी टीम ही इंटरनेशनल में उप विजेता बनाया।

आज झाड़ोल में

ा)। लोकसभा चुनाव त होने के बाद सांसद रावत मतदाताओं का जताने मंगलवार सुबह जे झाड़ोल विधानसभा आएंगे। भाजपा झाड़ोल ध्यक्ष नीलमराज पुरोहित कि इस दौरान भाजपा झाड़ोल, फलासिया, के कार्यकर्ताओं सांसद त मुख्यालय स्थित सती

तीन दिवसीय कूड़ो प्रशिक्षण शिविर संपन्न, खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट के दिए टिप्स

उदयपुर। तीन दिवसीय कूड़ो का प्रशिक्षण शिविर सोमवार को संपन्न हुआ। शिविर में खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया गया। भारत के मुख्य कूड़ो कोच मेहुल वोरा के मुख्य आतिथ्य एवं मार्शल आर्ट प्रशिक्षक राजकुमार मेनारिया की अध्यक्षता में शिविर का समापन हुआ। शिविर में 40 स्कूलों के बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। चैंपियन टेरागुची नोरिहिडे ने फाइट करने की कई काम्बिनेशन टेक्निक्स के साथ-साथ जरूरी सावधानियों और सम्भावित गलतियों के बारे में बताया।

शिविर के समापन पर मौजूद प्रशिक्षक, प्रतिभागी।

LiFE

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एफः 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल : : rorpcbudaipur@gmall.com फोन नं.: 0294-2491269.

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषयः – श्री शिव लाल मीणा, एम.एल.न. 16/2019 (क्षेत्रफल 1.9611 हैक्टेयर) "मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट", ग्राम–सेलू, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शिव लाल मीणा, एम.एल.न. 16/2019 (क्षेत्रफल 1.9611 हैक्टेयर) "मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट", ग्राम–सेलू, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर प्रस्तावित परियोजना मेसोनरी स्टोन एवं डोलोमाईट माईन (एम.एल.न. 18/2019, क्षेत्रफल 1.9611 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 240166 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से संबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैः–

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए–216, अरण्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ–प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ–470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 08.08.2024 (गुरुवार) को सायं: 04:00 बजे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–सेलू, तहसील–बड़गांव, जिला–उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड–19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सका है।

क्षेत्रीय अधिकारी

नगर निगम चंडीगढ़

निविदा सूचना

क्र. सं.	कार्य का नाम	बोली जमा अनुसूची (ऑनलाईन)	तकनीकी बोली (ऑनलाईन) का खुलना
	अधिशासी अभियंता - बागवानी डिवीजन सं. 2		
2.	रेवेन्यु हैड के अंतर्गत एसडीई एमसीपीएच सब डिवीज़न नंबर 19, चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र अधीन विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ग्रीन बेल्ट/ पार्कों में फव्वारों का संचालन, रखरखाव और निगरानी। डीएनआईटी राशिः रु.1,01,98,799/- बयाना राशिः रु.2,03,976/- समय सीमाः बारह माह	09.07.2024 (प्रातः 10.00 बजे) से 16.07.2024 (प्रातः 11.00 बजे)	16.07.2024 प्रातः 11.30 बजे

शर्तें : 1. ठेकेदारों/बोलीदाताओं द्वारा निविदा दस्तावेज वेबसाइट Chandigarh.nic.in/Chandigarh.gov./tenders.gov.in से डाउनलोड किए जाएंगे।

अधिशासी अभियंता
बागवानी डिवीजन संख्या 2. एम.सी. चंडीगढ़

Scanned with OKEN Scanner